राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 777/2017

कैलाश नारायण मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निबन्धक, भू–अभिलेख, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
3. उप निबन्धक, भू–अभिलेख, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
4. जिला कलक्टर, जयपुर।
5. श्री अशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार, भू–अभिलेख निरीक्षक, तहसील कार्यालय, दौसा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 08.05.2017
आदेश की दिनांक : 03.07.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता
प्रत्यर्थी सं. 5 की ओर से : श्री जी.एस.नाटाणी, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी का नाम वरिष्ठता सूची दिनांक 24.04.2017 में निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 श्री अशोक कुमार शर्मा से पूर्व शामिल किया जावे एवं डीपीसी बैठक दिनांक 11.05.2017 में अपीलार्थी को शामिल करते हुए वर्ष 2013–14 से दी जाने वाली नायब तहसीलदार के पद हेतु पदोन्नति प्रदान की जावे एवं वरिष्ठता सूची अनुसार अपीलार्थी से कनिष्ठ को प्रदान किए जाने वाले समस्त परिलाभ अपीलार्थी को भी मय ब्याज सहित दिलाए जाने के आदेश फरमाए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति पटवारी के पद पर वर्ष 1984 में की गई थी। अपीलार्थी ने दिनांक 30.04.1984 को कार्यग्रहण किया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जयपुर संभाग के पटवारियों की अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2008 को जारी की, जिसमें अपीलार्थी की वरिष्ठता क्रमांक 755 है तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 का वरिष्ठता क्रमांक 760 है। आदेश दिनांक 17.09.2013 के द्वारा वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर चयन कर पदोन्नति की गई, जिसमें अपीलार्थी से कनिष्ठ निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 की पदोन्नति भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर की गई और अपीलार्थी की पदोन्नति नहीं की गई। जिसके संबंध में अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 1600/2013 में चुनौती दी। अधिकरण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अंतिम निर्णय दिनांक 26.05.2015/05.05.2016 के निर्णय द्वारा अपीलार्थी की अपील को स्वीकार करते हुए प्रत्यर्थीगण को यह निर्देश दिए गए कि पुनः रिव्यू डीपीसी का आयोजन करने तथा उससे कनिष्ठ की पदोन्नति दिनांक से अपीलार्थी की पदोन्नति पर विचार करने के निर्देश दिए गए। उक्त निर्णय की पालना में पुनः रिव्यू बैठक दिनांक 26.12.2016 को आयोजित की गई, जिसमें अपीलार्थी को वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर पदोन्नति की गई, उसके पश्चात् संभागीय आयुक्त जयपुर के आदेश दिनांक 26.12.2016 की पालना में प्रत्यर्थी संख्या 4 ने भी संबंधित तहसीलदार को आदेश दिनांक 04.01.2017 को यह आदेश दिए कि अपीलार्थी को भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध की गई है, जिसका नियमानुसार सेवाभिलेख पुस्तिका में अंकन किया जावे, जिसकी पालना में अपीलार्थी का सेवा पुस्तिका में भू–अभिलेख निरीक्षक की पदोन्नति का वर्ष 2013–14 का अनुलग्नक–3 में अंकन किया गया। प्रत्यर्थीगण ने वर्ष 2017 में भू–अभिलेख निरीक्षकों की वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम पदोन्नति वर्ष 2013–14 के अनुसार नहीं जोडने पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 22.03.2017 के द्वारा ई–मेल व व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत की कि अपीलार्थी का वर्ष 2013–14 की भू–अभिलेख निरीक्षक की वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम पदोन्नति आदेश के अनुसार जोडे जाने की कृपा करें। परंतु प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थी की आपत्ति का निस्तारण किए बिना ही आलोच्य आदेश दिनांक 24.04.2017 द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षकों की दिनांक 01.04.2014 की स्थिति

के अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित की, जिसमें निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 का नाम क्रम संख्या 1978 पर अंकित है। अपीलार्थी का नाम निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 से ऊपर अंकित किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया तथा अपीलार्थी का नाम निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 से ऊपर नहीं जोडा गया। प्रत्यर्थीगण का उक्त कृत्य विधि विरूद्ध है तथा अधिकरण के आदेशों के विरूद्ध है तथा मनमाना व पक्षपातीपूर्ण है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी का नाम वरिष्ठता सूची दिनांक 24.04.2017 में निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 श्री अशोक कुमार शर्मा से पूर्व शामिल किया जावे एवं डीपीसी बैठक दिनांक 11.05.2017 में अपीलार्थी को शामिल करते हुए वर्ष 2013–14 से दी जाने वाली नायब तहसीलदार के पद हेतु पदोन्नति प्रदान की जावे एवं वरिष्ठता सूची अनुसार अपीलार्थी से कनिष्ठ को प्रदान किए जाने वाले समस्त परिलाभ अपीलार्थी को भी मय ब्याज सहित दिलाए जाने के आदेश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि आदेश दिनांक 24.04.2017 पूर्णतया नियमानुसार जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई दुर्भावना नहीं है तथा अपीलार्थी ने भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर दिनांक 24.12.2014 को कार्यग्रहण किया है। इसलिए अपीलार्थी की दिनांक 24.12.2017 के पश्चात् ही वरिष्ठता प्रदान की जा सकती है। इसलिए अपीलार्थी ने नियमों के विपरीत जाकर उक्त अपील प्रस्तुत की है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 की ओर से विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि अप्रार्थी संख्या 5 की पदोन्नति विभाग द्वारा नियमानुसार की गई है, जिसमें अप्रार्थी का कोई दोष नहीं है तथा अपीलार्थी एसटी वर्ग का कार्मिक है तथा उसने इसका लाभ प्राप्त कर लिया है और पुनः सामान्य वर्ग में किसी प्रकार की पदोन्नति प्राप्त करने का हकदार नहीं है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का अवलोकन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अधिकरण द्वारा जारी आदेश दिनांक 26.05.2015/05.05.2016 के निर्णय के अनुसार प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए गए थे कि प्रत्यर्थी विभाग भू–अभिलेख निरीक्षक के पद की पदोन्नति हेतु पुनः रिव्यू डीपीसी का आयोजन किया जावे और अपीलार्थी की पदोन्नति पर विचार किया जावे तथा वे समस्त लाभ अपीलार्थी को दिए जावें, जिस दिनांक से अपीलार्थी से कनिष्ठ को दिए गए हैं। उक्त आदेश की पालना में ही प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 26.12.2016 को रिव्यू बैठक आयोजित करते हुए अपीलार्थी को वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान की है तथा अधिकरण के पूर्व निर्णय के अनुसार भी अपीलार्थी भी निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 से ऊपर वरिष्ठता प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रत्यर्थी विभाग को अधिकरण द्वारा अपीलार्थी के संबंध में पारित निर्णय के अनुसार वर्ष 2013–14 की पदोन्नति वर्ष के आधार पर ही भू–अभिलेख निरीक्षक की वरिष्ठता निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 से ऊपर निर्धारित की जानी चाहिए, परंतु आलोच्य आदेश में निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 अपीलार्थी से कनिष्ठ होने के बावजूद निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को आलोच्य आदेश में वरिष्ठता में अपीलार्थी से ऊपर रखा गया है, जो मनमाना, पक्षपातीपूर्ण व विधि विरूद्ध प्रकट होता है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अधिकरण के पूर्व आदेश दिनांक 26.05.2015/05.05.2016 को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी को वर्ष 2013–14 की भू–अभिलेख निरीक्षक की पदोन्नति के आधार पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 से ऊपर वरिष्ठता निर्धारित की जावे तथा नायब तहसीलदार के पद के लिए रिव्यू डीपीसी आयोजित करते हुए उसकी पदोन्नति पर विचार किया जावे एवं उसे उसी दिनांक से समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें, जिस दिनांक से निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को दिए गए हैं। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य